न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/120

1. स्वर्गीय श्री किशन आत्मज केसरा जाति धाकड निवासी ग्राम अंथडा तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. घनश्याम
   1/2. महावीर पिसरान स्वर्गीय श्री किशन जाति धाकड निवासीगण अंथडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/3. छीताबाई
   1/4. सोसरबाई पुत्रियॉ स्वर्गीय श्री किशन जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम अंथडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

बनाम

1. मोहन लाल आत्मज केसरा जाति धाकड निवीस ग्राम श्रीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
2. किशन लाल
3. जानकी लाल
4. रामकरण पिसरान स्वर्गीय केसरा जाति धाकड निवासीगण ग्राम अंथडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहीसलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 06.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट मृतक श्री किशन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बंटवारा भूमि का पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 वास्ते रिसीवर नियुक्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम श्रीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 567 रकबा 2.99 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर पांचों सहखातेदार संयुक्त काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु अभी 02 वर्ष से प्रार्थी के 1/5 हिस्से पर जबरदस्ती ही अप्रार्थीगण ने कब्जा कर लिया और काश्त करने से मना कर दिया । उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने 1/5 हिस्से पर अप्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं देने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है । वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर रिसीवर तहसीलदार को नियुक्त किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.02.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी मृतक श्रीकिशन के कायममुकामान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से के सहखातेदार हैं । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट अपीलान्टगण को उनके खाते की भूमि पर काश्त नहीं करने दे रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट को अपने हितों को संरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 के शामलाती खाते की है जिसमें वादी अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा निहित है । आराजी संयुक्त खाते की है, दावा दायरी से 02 वर्ष पूर्व उनके 1/5 हिस्से की भूमि पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 ने जबरन कब्जा कर लिया है और संयुक्त खाते की आराजी पर काश्त नहीं करने देते हैं । वादी अपीलान्ट के हितों की सुरक्षा के लिए उनके हिस्से की सीमा तक नगदप्रतिभूति के आदेश

पारित किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.02.2019 अपास्त किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 76, आरआरटी 2016–17 (सप्ली) पेज 316 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में आराजी को नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना नहीं की गई है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है । बंटवारे की डिक्री में अपीलान्ट के पिता ने अपना हिस्सा अलग ले लिया था । किशन जी के हिस्से में ज्यादा भूमि आई है । मोहनी एवं जानकी के हिस्से में कम भूमि आई थी। इस कारण किशन जी ने अपने पिता के नाम की ग्राम श्रीपुरा की भूमि अपने छोटे भाईयों को बांटकर बंटवारे की पानडी पर हस्ताक्षर किये थे । रिसीवर की प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति को यह बताना आवश्यक है कि सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है । जो व्यक्ति काबिज है उसे बेदखल कर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने का कोई आरोप नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2019 पेज 273, आरआरडी 1995 पेज 640, आरआरडी 1993 पेज 126, आरबीजे 2011 पेज 169 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 नया खाता संख्या 189 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 567 की 2.99 हैक्टर भूमि पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के आदेश दिनांक 07.06.1973 की फोटो प्रति संलग्न की गई है । इसके अलावा पांती पानडी की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । वादी अपीलान्ट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी में उनका 1/5 हिस्सा निहित है वो सहखातेदार की हैसियत रखते हैं । अन्य सहखातेदारान उनके हिस्से पर उनको काश्त नहीं करने देते हैं । अतः धारा 212 (2) के तहत उनके 1/5 हिस्से तक नगद प्रतिभूति के आदेश पारित किये जावें ।

10. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि रिसीवर कठोरतम व्याधि होती है और काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर की नियुक्ति नहीं की जा सकती । अपीलान्ट के पिता श्री किशन ने अपना हिस्सा ले लिया था और उनके द्वारा बंटवारे की पानडी में हस्ताक्षर कर श्रीपुरा की आराजी अपने छोटे भाईयों को दे दी थी ।

11. वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है और रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक बंटवारे की पानडी की जो फोटो प्रति पेश की गई है इसका पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों पर क्या प्रभाव पडेगा यह मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होगा इस स्टेज पर नहीं । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 1995 पेज 76 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि राजस्व न्यायालय रिसीवर को नियुक्त किये बिना कब्जे में बने रहने हेतु नगद प्रतिभूति का आदेश

पारित कर सकते हैं । आरआरटी 2016–17 (सप्ली) पेज 316 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि रिसीवर की नियुक्ति किये बिना नगद प्रतिभूति की राशि का आदेश पारित किया जा सकता है । वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट सहखातेदार हैं ऐसी स्थिति में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीरों की रोशनी में हम उनके हिस्से तक नगद प्रतिभूति के आदेश पारित करना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2019 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्टगण यदि वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बनाये रखना चाहते हैं तो वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 567 रकबा 2.99 हैक्टर वाके ग्राम श्रीपुरा तहसील के0 पाटन में अपीलान्टगण के 1/5 हिस्से की सीमा तक 4000/– रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि तहसीलदार, के0 पाटन के समक्ष 30 जून तक ताफैसला दावा जमा करवाये। यदि रेस्पोडेन्ट नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने में असफल रहता है तो तहसीलदार, के0 पाटन अपीलान्टगण के 1/5 हिस्से को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार काश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

13. निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा